

# राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार 🏰



### -:आवश्यक सूचनाः-

(विज्ञापन सं0-05 / 2019)

विज्ञापन संख्या-05 / 2019 के तहत Community Based Care Extender (CBCE) के पद पर चयन हेतु दिनांक 14.12.2019 को ऑनलाईन Computer Based Test (CBT) लिया गया है। उक्त CBT में Qualified अभ्यर्थियों का Merit (विस्तृत निर्देश में अंकित प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी तथा चयन के Shortlist किया अंकित प्रावधान) के आधार पर वेबसाईट—statehealthsocietybihar.org पर अपलोड / प्रकाशित कर दिया गया है। तदनुसार उक्त पदों के लिए Merit के आधार पर 1:2.5 के अनुपात में Shortlisted अभ्यर्थियों का प्रमाण-पत्र सत्यापन (Counselling) किया जाना है। सभी संबंधित प्रमाण-पत्रों के सत्यापनोपरांत तदनुसार रिक्ति के अनुसार अंतिम रूप से चयनसूची का प्रकाशन किया जाएगा।

CBT में Qualified Shortlisted अभ्यर्थियों के सभी मूल प्रमाण-पत्रों का सत्यापन हेतु Counselling के लिए तिथि / समय / स्थान निम्नलिखित सारणी के अनुसार निर्धारित किया गया है:-

Position	Date	Registration Time	Roll No.	No. of Candidates	Place
COMMUNITY BASED CARE EXTENDER (CBCE)	4/3/2020 (Wednesday)	9:30 AM	1010053 to 1235462	157	राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (SIHFW), शेखपुरा, पटना—14

उक्त निर्धारित तिथि को यदि Counselling में अभ्यर्थी अनुपस्थित पाए जाते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रदद मानी जाएगी।

- Shortlisted (Qualified) अभ्यर्थी उक्त तिथि को ससमय स्थान पर निम्नांकित सभी प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति एवं उसका एक स्वअभिप्रमाणित (Self Attested) छायाप्रतियों के साथ अनिवार्य रूप से स्वयं उपस्थित होंगे:-
  - (i) दो (02) रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो।
  - (ii) उक्त परीक्षा का प्रवेश-पत्र (Admit Card)
  - (iii) जन्मतिथि के साक्ष्य हेतु मैट्रिक उत्तीर्णता का प्रमाण-पत्र/अंक-पत्र।

#### (iv) Essential Qualifications -

- (A) Community Based Care Extender (CBCE) के लिए Essential Qualification: Bachelor's degree (Full Time) from any recognized institute/University.
- आरक्षण का लाभ उन्ही उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, (v). अर्थात जो बिहार के मूलवासी है। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण-पत्र एवं मूल (vi). निवास प्रमाण-पत्र (महिला उम्मीद्वारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र एवं निवास प्रमाण-पत्र लाना अनिवार्य है)।
- पिछड़ा वर्ग / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की स्थिति में बिहार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में (vii). अपने स्थायी अधिवास अंचल के अंचलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जाति प्रमाण-पत्र एवं निवास प्रमाण-पत्र (अविवाहित / विवाहित महिला अभ्यर्थी के लिए अपने माता पिता के नाम एवं





# राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



स्थायी पता से निर्गत प्रमाण-पत्र एवं निवास प्रमाण-पत्र) एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र अनिवार्य होगा।

- (viii). पिछड़ा वर्ग / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए क्रीमीलेयर के अन्तर्गत नहीं होने संबधी घोषणा—पत्र (विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण—पत्र होने पर) का होना अनिवार्य है।
- (ix). आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित संबंधित जिलाधिकारी/अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत आय एवं परिसंम्पति प्रमाण-पत्र लाना अनिवार्य है।
- (x). यदि आपने आरक्षित पद के लिए दावा किया है, तब Counselling के समय अनुसूचित जाति/जनजाति के मामले में अपने स्थायी अधिवास अंचल के अंचलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जाति प्रमाण—पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण—पत्र जमा कर सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
- (xi). दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का दावा करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकार/Medical Board द्वारा निःशक्तता संबंधी प्रमाण—पत्र।
- (xii). स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाति/नतिनी के आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा मनोनित पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपन्न में निर्गत प्रमाण-पत्र।
- (xiii). फोटोयुक्त पहचान—पत्र, यथा—मतदाता पहचान—पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस इत्यादि।
- 4. यदि कोई अभ्यर्थी Counselling में उपरोक्त वर्णित सभी मूल—प्रमाण—पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं तो इसके लिए कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों की अर्हता के संबंध में यथासमय समुचित निर्णय लेने के लिए समिति स्वतंत्र होगी।
- 5. योग्यता सम्बन्धी प्रमाण—पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन पत्र में किया है। योग्यता से संबंधित प्रमाण—पत्र के निर्गत होने की तिथि, Cut-off date-(01.08.2019) के पूर्व का ही होना आवश्यक है।
- 6. उक्त तिथि को Counselling में उपस्थित नहीं होने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द समझी जाएगी एवं उपस्थित नहीं होने के फलस्वरूप उन्हें मेधासूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, इसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार जिम्मेदार नहीं होगी।
- 7. अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि Counselling से संबंधित अद्यतन जानकारी वेबसाईट—www.statehealthsocietybihar.org पर प्राप्त कर सकते हैं। उक्त वेबसाईट निरंतर देखना अभ्यर्थियों की जिम्मेदारी है। Shortlisted अभ्यर्थियों को इसकी सूचना SMS/Email के माध्यम से दी गयी है। यदि किसी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं होती है तो उसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार जिम्मेदार नहीं होगी। प्रमाण—पत्र सत्यापन में शामिल होने के लिए कोई यात्रा—भत्ता देय नहीं होगा।

(राजैश कुमार) उप सचिव–सह– प्रभारी, मानव संसाधन

**Disclaimer**: Candidates called for Document Verification have been shortlisted provisionally based on their marks scored in CBT and weightage to educational qualification. Final Merit list for the selection will be published post Document Verification/Interview based on Merit and Bihar Reservation Rules.



कोई भी व्यक्ति चाहे वह सरकारी अथवा गैर-सरकारी वाह्य व्यक्ति हो, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार में नौकरी दिलाने के नाम पर आपसे सम्पर्क स्थापित कर ठगी करने का प्रयास करते हैं तो ऐसे तत्वों के संबंध में अविलंब दूरभाष 8544421978 एवं Email ID: shsbhrcell@yahoo.com पर सूचित करें। ऐसे किसी तत्वों से संलिप्तता पाये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

Rajul

## Important Instructions to the Candidates for **Document Verification**

1. All candidates are required to read, understand and follow the instructions carefully as mentioned.

Following documents have been uploaded on the website. The candidates are required to go through each of them separately:

Notice of Document Verification: The candidates are required to note and arrive at the venue as per allotted date and time slot.

List of selected candidates for Document Verification: Roll no wise and position wise ii. provisionally shortlisted candidates for Document Verification.

- 3. The candidates are required to arrive in their respective date and time slots as published along with one set of photocopy (self-attested) and Originals of below mentioned documents for the document verification:
  - Admit Card of Exam taken on 14/12/2019.

ii. 2 Colored Passport Size photographs

Government issued Photo Identity Card (Voter ID, PAN, Aadhaar, DL etc) iii.

Class Xth Certificate or Marksheet for Date of Birth Verification iv.

Certificates of Essential qualification as per advertisement: Position wise Essential V. Qualification as mentioned in the TOR.

a) Marksheet

b) Passing Certificate

Caste Certificate from Competent authority in case of reservation claimed vi.

- > For candidates belonging to EWS (Economically Weaker Section), certificate of EWS issued by competent authority. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकार के स्तर से निर्गत
- For candidates belonging to Backward Class(BC)/Most Backward Class(MBC) submission of following documents are required:

a) Caste Certificate issued by competent authority ( For female candidates, certificate issued in the Father's name & address is mandatory)

b) Non creamy layer certificate issued by competent authority.

- c) Declaration of Non applicability of creamy layer (In case Non creamy layer certificate obtained before one year)
- d) Permanent Residential Certificate
- पिछड़ा वर्ग / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए:
  - 1. क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र लाना अनिवार्य है)।

2. क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकार के स्तर से निर्गत ।

3. पिछड़ा वर्ग / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर के अन्तर्गत नहीं आने संबंधी घोषणा पत्र (विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र होने पर)।

4. स्थायी निवास प्रमाण-पत्र

> Caste Certificate and permanent residential certificate for candidates belonging to Scheduled Caste (SC)/Scheduled Tribe (ST) (For Female candidates, certificate issued in the Father's name & address is mandatory).

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण-पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण-पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र एवं निवास प्रमाण-पत्र) लाना अनिवार्य है।

- For PWD candidates Certificate of Disability from competent Medical Board/Authority.
   निःशक्तता संबंधी प्रमाण-पत्र।
- For Candidates claiming reservation against Grandson/Granddaughter of Freedom fighter, Certificate in prescribed Form issued by District Magistrate (DM)/any nominated official by him.
  स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाति/नतिनी के आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा मनोनीत पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत प्रमाण—पत्र।
- Domicile Certificate of Bihar Mandatory for claiming benefit of Reservation. आरक्षण का लाभ लेने हेतु बिहार का स्थायी निवास प्रमाण—पत्र लाना अनिवार्य है।
- 4. All documents must have been obtained before the Cutoff date (i.e. 01.08.2019). The candidates are strictly required to present one set of self-attested photocopy of relevant documents at the Registration Desk as per serial number mentioned above.
- 5. On arrival, the candidate shall proceed to the Registration Desk for registration following which their Biometric Verification shall be done.
- 6. After biometric verification the candidate shall be assigned to the Document Verification team where their Originals shall be verified against the eligibility criteria.
- 7. After Biometric verification, no candidate shall be allowed to leave the venue until the final process is over. Hence the candidates are hereby advised to bring with them all relevant documents, photocopies etc. to avoid any confusion.

#### NOTE:

- 1. Candidates have been called for DVT in the ratio of 1:2.5. Final Selection list of successful candidates will be based on Merit and provisions of reservation rule of Govt. of Bihar.
- Candidates are strictly advised not to disclose their personal details like mobile number, email ID etc to any person making claims regarding any kind of help with respect to admission and selection in the course and should immediately inform the same to the authorities.

Rajesh Kumar Deputy Secretary cum I/C HR